समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी./सूचना/2024/1128

दिनांक 24 JUL 2024

//अधिसूचना//

एतद द्वारा सर्वसबंधितों को सूचित किया जाता है कि कतिपय शिकायतकर्ताओं द्वारा आये दिन अशासकीय/निजी महाविद्यालयों की शिकायते बिना किसी प्रमाण के की जाती है, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शिकायतों को सबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य/संचालाक को प्रेषित कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस सबंध में अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयीन संचालक संघ द्वारा यह लिखित में सूचित किया गया है कि कतिपय शिकायतकर्ता RTI के माध्यम के ब्लैकमेलिंग एवं दबाव बनाने हेतु शिकायत करते है। अतः विश्वविद्यालय के लोकपाल पूर्व न्यायाधीश श्री नरेन्द्र सत्संगी जी को उभयपक्षों के मत प्राप्त कर शिकायतो की जॉच करने हेतु अधिकृत किया जाता है। लोकपाल जॉच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत करेगे।

शिकायतों के परीक्षण एवं निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के लोकपाल प्रति मंगलवार सायं 3 से 5 बजे तक चीफ वार्डन ऑफिस, तक्षशिला परिसर विश्वविद्यालय खण्डवा रोड़ कैम्पस इन्दौर पर उपस्थित रहेगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा क. डी. सी. डी. सी./सूचना/2024/1128

दिनांक 24 JUL 2024

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति जी के सचिव देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक, देवी अहिल्या वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालाक इन्दौर संभाग मोती तबेला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य समस्त अशासकीय महाविद्यालय जिला– इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बडावानी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक

महाविद्यालय विकास परिषद्